न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 185 / 2022

उनवान

1. बलदेव चरपोटा पिता धुलजी चरपोटा जाति भील निवासी भगोरा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

बनाम

1. हन्तोक पत्नी लक्ष्मण जाति भील निवासी भगोरा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2. पोंजा पिता सवा पारगी जाति भील निवासी लोडदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
3. श्रीमान् तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 151 सी.पी.सी.

आदेश

दिनांकः 13.12.2022

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड न्यायालय गढी में अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 13.02.2013 को खसरा नम्बर 1029 / 6818 रकबा 0.22 एयर लगान 0.66 गांव भगोरा पटवार हल्का भगोरा तहसील गढी, जिला बांसवाडा में स्थित है। जिसको गैर कानूनी रूप से और अवैद्य रूप से श्री हन्तोक के पति लक्ष्मण पिता केरेंग जाति भील निवासी भगोरा जो कि उक्त आवंटन दिनांक को सलाहकार समिति का सदस्य था और ग्राम पंचायत भगोरा का सरपंच था उसने अवैद्य रूप से उघोगिकी क्षैत्र रिक्को के पास लगी श्री सरकार भूमि को अपनी पत्नी अप्रार्थी नम्बर 01 श्रीमती हन्तोक के नाम आवंटन कराई है एवं उक्त आवंटन निरस्त हेतु उपखण्ड न्यायालय गढी में नियम 17 राजस्थान उपनिवेशक अधिनियम के तहत हो चुके हैं परन्तु प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैघ रूप से दिनांक 9.11.2022 को उक्त सर्वे नम्बर की भूमि को गैर खातेदारी से खातेदार करा ली है जो कि कानुनन प्रकरण में विचारण होते हुवे गैर कानूनी तरिके से खातेदार हक प्राप्त कर लिया है जबकि उक्त आवंटन पूरी तरह से काबिल निरस्ती है।, हल्का पटवारी एवं तहसीलदार से उक्त गैर खातेदारी भूमि को खातेदारी अधिकार के सम्बन्ध में म्यूटेशन व पत्रावली की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया तो आज तक नकल नहीं दी है और पटवारी गैर खातेदारी के नामान्तरण की नकल नहीं दे रहा है। उक्त गैर खातेदारी से खातेदारी की गई है उस पत्रावली म्यूटेशन तलब कर खातेदारी का अधिकार समाप्त किये जाने हेतु निवेदन है।, अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 गैर कानूनी तरीके से आबादी कराकर प्लॉट काटकर बैचने की तैयारी कर रही है। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि वह उक्त भूमि को किसी अन्य को नही बैचे। ना आबादी में परिवर्तन करें व किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें और कृषि भूमि को अयोग्य बनाने के उद्धेश्य से पत्थर, गिट्टी, रेत आदि निर्माण सामग्री नहीं डाले इस हेतु उन्हें पाबन्द किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश है।, अतः प्रकरण के निस्तारण तक अप्रार्थीगण उक्त सर्वे नम्बर की भूमि खसरा नम्बर 1029 / 6818 रकबा 0.22 एयर लगान 0.66 गांव भगोरा पटवार हल्का भगोरा तहसील गढी जिला बांसवाडा को किसी को बैचे नहीं न उसके आकार व रूप–रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करें एवं उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तन नहीं करें, निर्माण के उद्देश्य पत्थर रेत आदी नहीं डाले इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 151 सी.पी.सी. [illegible] हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.03 12:40:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण की तरफ से श्री [illegible] अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। प्रकरण में दोनो पक्षों के बकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा [illegible] की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 151 सी.पी.सी का संक्षिप्त अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा हैं कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के मध्य इस न्यायालय विचाराधीन मूल प्रकरण संख्या 2021 / 203 के

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned by CamScanner

जवाब प्रस्तुत होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया जाना न्यायोचित है।

अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि इस न्यायालय में विचाराधीन मूल प्रकरण संख्या 203/2021 में जवाब प्रस्तुत होने तक पटवार हल्का भगोरा के मौजा भगोरा की खसरा संख्या 1029/6818 रकबा 0.22 हें. भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 3.1.2022 को जारी किया गया।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.03 12:40:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner